तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22.10.18	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी प्रतिवादी को सुना मध्य निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नाजर [illegible] हो। उपखण्ड अधिकारी देसूरी

मूल वाद मे अंतिम डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय– उपखण्ड अधिकारी, देसूरी, जिला–पाली (राज0)

पिठासीन अधिकारी– श्री हँसमुख कुमार (R.A.S.)
राजस्व मूल वाद संख्या–105 / 2007
तारीख निर्णय– / 10 / 2018

वादीगण–

मृत वरजुबाई पत्नि वजाराम के वारिसान कायम मुकाम–
1– भंवरलाल पुत्र वजारामजी, जाति– सुथार,
2– गीता पुत्री वजारामजी, जाति– सुथार, निवासीगण–
सादडी, तहसील– देसूरी, जिला– पाली (राज0)

–: विरूद्ध :–

प्रतिवादीगण–

1– पानी पत्नि मोहनलाल पुत्र खीमा, जाति– माली आयु वयस्क,
निवासी– सादडी, तहसील– देसूरी, जिला– पाली (राज0)
2– कमलाबाई पत्नि नारायणलालजी, जाति– सैन, आयु– वयस्क,
निवासी– सादडी, तहसील– देसूरी, जिला– पाली (राज0)
3–घीसीया पुत्र जेठा उर्फ जेरा, जाति– रेबारी, आयु– वयस्क,
निवासी– सादडी, तहसील– देसूरी, जिला– पाली (राज0)
4– समाराम पुत्र जेठा उर्फ जेरा, जाति– रेबारी, आयु– वयस्क,
निवासी– सादडी, हाल–खारची, तहसील– देसूरी, जिला– पाली (राज0)
5– मृत रतिया पुत्र जेठा उर्फ जेरा के कायम मुकाम वारिसान–
5 / 1– गैरकी पत्नि रताराम, आयु– वयस्क,
5 / 2– खूमाराम पुत्र रताराम, आयु–वयस्क,
5 / 3– गणेशराम पुत्र रताराम आयु– वयस्क,
5 / 4– अणदी पुत्री रताराम, आयु– वयस्क,
5 / 5– नेनूडी पुत्री रताराम जातिगण– रेबारी, निवासीगण– सादडी
हाल खारची, तहसील– देसूरी, जिला– पाली (राज0)
6– तहसीलदारजी, देसूरी (भूमिधरी, राज्य सरकार)

–: वाद अन्तर्गत धारा– 53, 88, राज0 काश्त0 अधिनियम :–

उपस्थिति–

1– श्री नारायणसिंह भाटी अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2– श्री हुकमसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या–3,4, 5 / 1 से 5 / 3 व 5 / 5

–: निर्णय :– दिनांक–22 / 10 / 2018
(अंतिम–डिकी)

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा– 53, 88, राज0 काश्त0

–––कमशः पेज– 2 पर........

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि- मौजा सरहद ग्राम-सादडी पटवार क्षेत्र सादडी चक-2 तहसील- देसूरी, जिला- पाली (राज0) में वादिनी एवं प्रतिवादीगण संख्या-1 से 5 की संयुक्त खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर- 4820 रकबा- 0.2700 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, लगान रूपयां- 1.89 विद्यमान है। जिसमे 12/27 हिस्सा (जिसका क्षेत्रफल- 0.1200 हैक्टर बनता है) वादिनी की खातेदारी का, 7/27 हिस्सा (जिसका रकबा- 0.0700 हैक्टर बनता है) प्रतिवादी संख्या-1 एक की खातेदारी का, 7/27 हिस्सा (जिसका रकबा- 0.0700 हैक्टर बनता है) प्रतिवादी संख्या-2 दो की खातेदारी का, एवं 1/27 हिस्सा (जिसका रकबा- 0.0100 हैक्टर बनता है) प्रतिवादी संख्या-3 से लगाय-5 की खातेदारी का संयुक्त रूपेण विद्यमान है। उपरोक्त वर्णित आराजी का वादीनी का 12/27 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या-2 का 7/27 हिस्सा बजरिये रजिस्टर्ड विकय विलेख दिनांक- 23/04/1997 (उप-पंजीयन कार्यालय, देसूरी मे दिनांक- 28/04/97 को दस्तावेज कमांक- 578/97 पर रजिस्टर्ड सुदा) के पानी पत्नि मोहनलाल पुत्र खीमाजी जाति- माली निवासी- सादडी से खरीद सुदा होकर खातेदारी आधिपत्य का है, जिस अनुरूप वादग्रस्त आराजियात का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन कराया जाकर वादीनी के खातेदारी के 12/27 हिस्से का अलग बंट कराये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण हाजा मे दिनांक- 04/04/2016 को न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय पारित किया जाकर प्राथमिक डिकी इस आशय की जारी की गई कि- मौजा सरहद ग्राम-सादडी, पटवार क्षेत्र सादडी चक-2 तहसील- देसूरी, जिला- पाली (राज0) में स्थित वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या-1 से 5 की संयुक्त खातेदारी की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर- 4820 रकबा- 0.2700 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, लगान रूपयां- 1.89 में वादीगण की खातेदारी का 12/27 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या-1 की खातेदारी का 7/27 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या-2 की खातेदारी का 7/27 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या-3 से 5 की खातेदारी का 1/27 हिस्सा घोषित किया जाता है। उपरोक्त खातेदारी के हिस्सानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या-1 से लगाय-5 के मध्य उक्त वादग्रस्त आराजी का तहसीलदारजी, देसूरी मौके पर नियमानुसार नाप चौक कर बाई मिटस् एण्ड बाउण्ड बंटवाडा कर पृथक-पृथक बंट कर नक्शा मे पृथक- पृथक रंगो से दर्शाते हुए बंटवाडा प्रस्ताव मय नक्शा के दो दो प्रतियों मे इस न्यायालय को भिजवाये जाने का आदेश प्रदान किया गया।

तहसीलदारजी, देसूरी द्वारा प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव रिर्पोट मय नक्शा के प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

बंटवाडा प्रस्ताव के संबंध मे पक्षकारान की तरफ से कोई आपत्ति एतराज प्रस्तुत नही हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बंटवाडा प्रस्ताव रिर्पोट का अवलोकन किया। माफीक बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार वाद अंतिम

---कमशः पेज- 3 पर.......

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

डिकी योग्य है।

–: आदेश :–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजियात मौजा सरहद ग्राम– सादडी, पटवार क्षेत्र– सादडी चक–2 तहसील– देसूरी मे स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर– 4820 रकबा– 0.2700 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, लगान रूपयां– 1.89 का माफीक बंटवाडा प्रस्ताव व उसके सलंग्न नक्शानुसार वाद में अंतिम डिकी निम्न प्रकार सादिर की जाती है :–

1– भंवरलाल पुत्र वजाराम, जाति– सुथार सा0देह, दीपाराम पुत्र रूपाजी, जाति– माली, मोडाराम पुत्र लालाजी, चौधरी, नि0 भादरास, रामलाल पुत्र मगाजी, सोनाराम पुत्र पेमाजी, जाति– जणवा नि0 जुणा, छगनलाल पुत्र रूपाजी, माली नि0 सादडी, हरिसिंह पुत्र भूरसिंह, कालुसिंह पुत्र रावतसिंह कौम राजपुत, नि0 जोरमा, तह0 गोगुन्दा, बाबुलाल पुत्र पेमाजी, समाराम पुत्र मानाजी, दलाराम पुत्र भेराजी, जाति–जणवा नि0 जुणा, लकाराम पुत्र समाजी, जाति– जणवा नि0 भादरास खातेदार–

खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगान रू0
4820	0.1200 हैक्टर	बारानी प्रथम	0.84
1	0.1200 हैक्टर	बारानी प्रथम	0.84

2– कमलाबाई पत्नि नारायणलाल, जाति– सैन, सा0 देह खातेदार–

खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगान रू0
4820/1	0.0700 हैक्टर	बा0प्र0	0.49
1	0.0700 हैक्टर	बा0प्र0	0.49

3– पानीदेवी पत्नि मोहनलाल, जाति– माली सा0देह खातेदार–

खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगान रू0
4820/2	0.0700 हैक्टर	बा0प्र0	0.49
3	0.2800 हैक्टर		0.49

4– घीसाराम, समाराम पि0 जेठाराम उर्फ जेराराम, गेरीदेवी पत्नि रताराम, खुमाराम, गणेशराम पि0 रताराम, अणदी, नेनुदेवी पुत्रियां रताराम, जाति– रेबारी सा0देह खातेदार–

खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगान रू0
4820/3	0.0100 हैक्टर	बा0प्र0	0.07
1	0.0100 हैक्टर	बा0प्र0	0.07

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

–––कमशः पेज– 4 पर.......

उपरोक्तानुसार बंटवाडा की अंतिम डिकी सादिर की जाती है। प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव व उसके साथ सलग्न नक्शा को इस निर्णय डिकी का भाग माना जावे। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद एवं नक्शा मे तरमीमात किया जावे। तदनुरूप अंतिम डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

उपखण्ड अधिकारी, देसूरी

निर्णय आज दिनांक– 22 / 10 / 2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

उपखण्ड अधिकारी, देसूरी

—: अंतिम डिगरी बमुकदेमें इब्तदाई :—

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय— उपखण्ड अधिकारी, देसूरी, जिला—पाली (राज0)

पिठासीन अधिकारी— श्री हँसमुख कुमार (R.A.S.)
राजस्व मूल वाद संख्या—105 / 2007

वादीगण—

मृत वरजुबाई पत्नि वजाराम के वारिसान कायम मुकाम—
1— भंवरलाल पुत्र वजारामजी, जाति— सुथार,
2— गीता पुत्री वजारामजी, जाति— सुथार, निवासीगण—
सादडी, तहसील— देसूरी, जिला— पाली (राज0)

—: विरूद्ध :—

प्रतिवादीगण—

1— पानी पत्नि मोहनलाल पुत्र खीमा, जाति— माली आयु वयस्क,
निवासी— सादडी, तहसील— देसूरी, जिला— पाली (राज0)
2— कमलाबाई पत्नि नारायणलालजी, जाति— सैन, आयु— वयस्क,
निवासी— सादडी, तहसील— देसूरी, जिला— पाली (राज0)
3—घीसीया पुत्र जेठा उर्फ जेरा, जाति— रेबारी, आयु— वयस्क,
निवासी— सादडी, तहसील— देसूरी, जिला— पाली (राज0)
4— समाराम पुत्र जेठा उर्फ जेरा, जाति— रेबारी, आयु— वयस्क,
निवासी— सादडी, हाल—खारची, तहसील— देसूरी, जिला— पाली (राज0)
5— मृत रतिया पुत्र जेठा उर्फ जेरा के कायम मुकाम वारिसान—
5 / 1— गैरकी पत्नि रताराम, आयु— वयस्क,
5 / 2— खूमाराम पुत्र रताराम, आयु—वयस्क,
5 / 3— गणेशराम पुत्र रताराम आयु— वयस्क,
5 / 4— अणदी पुत्री रताराम, आयु— वयस्क,
5 / 5— नेनूडी पुत्री रताराम जातिगण— रेबारी, निवासीगण— सादडी
हाल खारची, तहसील— देसूरी, जिला— पाली (राज0)
6— तहसीलदारजी, देसूरी (भूमिधरी राज्य सरकार)

—: वाद अन्तर्गत धारा— 53, 88, राज0 काश्त0 अधिनियम :—

मुकदमा नम्बर— राजस्व मूल वाद संख्या—105 / 2007

यह मुकदमा आज वास्ते इनिफिसाल कत्तई रूबरू हमारे वकील श्री नारायणसिंह भाटी अधिवक्ता मिनजानिब मुद्धईयान व वकील श्री हुकमसिंह सोलकी मिनजानिब मुद्धायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिगरी दी जाती है कि— अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजियात मौजा सरहद ग्राम— सादडी, पटवार क्षेत्र— सादडी चक—2 तहसील— देसूरी मे स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर— 4820 रकबा— 0.2700 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, लगान रूपयां— 1.89 का माफीक बंटवाडा प्रस्ताव व उसके

———कमशः पेज— 2 पर.......

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

सलंग्न नक्शानुसार वाद में अंतिम डिकी निम्न प्रकार सादिर की जाती है :-

1- भंवरलाल पुत्र वजाराम, जाति- सुथार सा0देह, दीपाराम पुत्र रूपाजी, जाति- माली, मोडाराम पुत्र लालाजी, चौधरी, नि0 भादरास, रामलाल पुत्र मगाजी, सोनाराम पुत्र पेमाजी, जाति- जणवा नि0 जुणा, छगनलाल पुत्र रूपाजी, माली नि0 सादडी, हरिसिंह पुत्र भूरसिंह, कालुसिंह पुत्र रावतसिंह कौम राजपुत, नि0 जोरमा, तह0 गोगुन्दा, बाबुलाल पुत्र पेमाजी, समाराम पुत्र मानाजी, दलाराम पुत्र भेराजी, जाति-जणवा नि0 जुणा, लकाराम पुत्र समाजी, जाति- जणवा नि0 भादरास खातेदार-

खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगान रू0
4820	0.1200 हैक्टर	बारानी प्रथम	0.84
1	0.1200 हैक्टर	बारानी प्रथम	0.84

2- कमलाबाई पत्नि नारायणलाल, जाति- सैन, सा0 देह खातेदार-

खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगान रू0
4820/1	0.0700 हैक्टर	बा0प्र0	0.49
1	0.0700 हैक्टर	बा0प्र0	0.49

3- पानीदेवी पत्नि मोहनलाल, जाति- माली सा0देह खातेदार-

खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगान रू0
4820/2	0.0700 हैक्टर	बा0प्र0	0.49
3	0.2800 हैक्टर		0.49

4- घीसाराम, समाराम पि0 जेठाराम उर्फ जेराराम, गेरीदेवी पत्नि रताराम, खुमाराम, गणेशराम पि0 रताराम, अणदी, नेनुदेवी पुत्रियां रताराम, जाति- रेबारी सा0देह खातेदार-

खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगान रू0
4820/3	0.0100 हैक्टर	बा0प्र0	0.07
1	0.0100 हैक्टर	बा0प्र0	0.07

उपरोक्तानुसार बंटवाडा की अंतिम डिकी सादिर की जाती है। प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव व उसके साथ सलग्न नक्शा को इस डिकी का भाग माना

---कमशः पेज- 3 पर.......

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

जावे। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद एवं नक्शा मे तरमीमात किया जावे।

बरोज ++ मुबलिक ++ बाबत ++ मुकदमे मय सूद बच शहर ++ फीस सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... ++ ...... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख– 22 माह 10 सन् 2018

मोहर

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
औहदा..... देसूरी .....

मुद्दई	रूपयां पैसा	मुद्धायलास	रूपया पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजान		मिजान	

नोट– इस खर्चे के फाम पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावे।